<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया।</u>

सत्र परीक्षण संख्या–1018/2025
राज्य बनाम आकाश

मु०अ०सं०-**85/2025**
धारा-**87,123 बी.एन.एस.**
थाना-**ऐरवाकटरा** जिला-औरैया

<u>आरोप</u>

मैं पारूल जैन, अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, औरैया, आप अभियुक्त **आकाश** पर निम्नलिखित आरोप आरोपित करती हूँ-

1. यहकि दिनांक 10.06.2025 को समय 04.30 बजे स्थान मकान वादी बहद ग्राम नगरिया, राजाम में आप अभियुक्त, वादी मुकदमा की पुत्री नेहा का व्यपहरण कर उसे इस आशय से अपने साथ ले गये उसके साथ अयुक्त संभोग किया जाए या उसे विवाह करने के लिये विवश किया जाए। आप अभियुक्त का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिंता की धारा 87 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यहकि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त, वादी मुकदमा की पुत्री नेहा को उपहति कारित करने के आशय से जहरीला पदार्थ पिलाया। आप अभियुक्त का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिंता की धारा 123 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा मैं आपको निर्देशित करती हूँ कि उक्त आरोप हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक–03.11.2025

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

दिनांक–03.11.2025

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2025.11.03 16:39:29 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1, Auraiya

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया।</u>

सत्र परीक्षण संख्या–1018/2025
राज्य बनाम आकाश

मु०अ०सं०-**85/2025**
धारा-**87,123 बी.एन.एस.**
थाना–**ऐरवाकटरा** जिला–औरैया

<u>दिनांक–03.11.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त **आकाश** स्वयं उपस्थित तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

उभयपक्षों को आरोप विरचन पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क दिया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 87,123 बी.एन.एस. का आरोप विरचित किया जाए।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचन का कोई औचित्य नहीं है। अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त को उन्मोचित किया जाए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 87,123 बी.एन.एस. में आरोप विरचित करने का पर्याप्त आधार है।

अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 87,123 बी.एन.एस. में आरोप विरचन हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक–03.11.2025

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

पत्रावली लंच बाद पेश हुयी। अभियुक्त आकाश के विरूद्ध धारा 87,123 बी.एन.एस. में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाया गया, अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की। सूची से साक्षीगण तलब हो।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 18.12.2025 को पेश है।

दिनांक–03.11.2025

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।